

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क्र.: 07 / 2015

संस्थित दि: 05 / 01 / 2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

1. बुद्धनलाल पिता गुहाजी चौहान, उम्र 42 साल, जाति चम्हार,
निवासी बघोली थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. प्रकाश चौहान पिता बुद्धनलाल, उम्र 24 साल, जाति चम्हार,
निवासी बघोली थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपीगण

— :: उर्पापण — आदेश :: —

(आज दिनांक 19 / 01 / 2015 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.08.2014 को पुलिस चौकी अस्पताल बालाघाट से मर्ग क्रमांक 0 / 14 धारा 174 जा.फौ. में मृतक राजेश चौहान निवासी बघोली की जहर पीने के उपरांत ईलाज दौरान मृत्यु होने व घटनास्थल आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अन्तर्गत का अपराध होने से असल मर्ग कायमी हेतु प्राप्त होने पर थाना में असल मर्ग क्रमांक 2 / 14 धारा 174 जा.फौ. कायम कर मर्ग जांच की गई। घटनास्थल निरीक्षण एवं कथन लिये गये। मामले में जप्त शुदा बिसरा परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. सागर भेजा गया। बिसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें ए. बी. प्रदर्श धनात्मक पाये गये, बिसरा परीक्षण रिपोर्ट एवं बयान में आये तथा मृतक की मृत्यु आरोपी बुद्धन चौहान एवं प्रकाश चौहान द्वारा मृतक को पैसों के लिये वाद विवाद करने व हमेशा परेशान करने से तंग आकर एसिड (जहर) पीकर मौत होने से उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 106 / 14 अन्तर्गत धारा 306, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय

दण्ड संहिता की धारा 306, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया।

(04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 34 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(05) आरोपीगण को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(07) प्रकरण में आरोपीगण जमानत पर होने से उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी दिनांक 02.02.2015 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति ए.टी.एम.कार्ड नायब नाजिर बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त सम्पत्ति आगामी तिथि के पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट